न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
20 / 2025	26 / 03 / 2025	23 / 12 / 2025

मोहम्मद इखलाक पुत्र चांद मोहम्मद आयु लगभग 62 वर्ष जाति मुसलमान अंसारी वार्ड नं. 21 इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रार्थी

बनाम

1. जमील अहमद पुत्र चांद मोहम्मद जाति मुसलमान अंसारी संजय नगर गली नं. 2 बज्मे अंसार मदरसा के सामने कोटा जक्शन के पास तह. लाडपुरा कोटा राज.
2. निजामुद्दीन पुत्र पुत्र चांद मोहम्मद जाति मुसलमान अंसारी वार्ड नं. 21 इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
3. मोहम्मद रफीक पुत्र चांद मोहम्मद जाति मुसलमान अंसारी वार्ड नं. 21 इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दा कम उपजीयन अधिकारी पीपल्दा जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता :– श्री एस.टी.एच. अबादी (एड0)

अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता :– श्री विकास पारेता (एड0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी वाके माल मौजा इटावा में खाता सं. नया 326 खाता संख्या पुराना 281 विभाजन से पूर्व की खसरा नं. 222 की रकबा 1.98 हैक्टर, खसरा नं. 740 की रकबा 1.50 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.46 हैक्टर, वाके माल मौजा किशनपुरा खाता सं. नया 19. खाता सं. पुराना 18 की खसरा नं. 11 / 221 रकबा 0.44 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.44 हैक्टर, वाके माल मौजा रामपुरा पटवार हल्का किशनपुरा खाता सं नया 65, खाता पुराना 59 की खसरा नं. 289 की रकबा 2.23 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 2.23 हैक्टर तथा वाके माल मौजा फतेहपुर पटवार हल्का किशनपुरा की खाता सं. नया 51. खाता सं. पुराना 49 की खसरा नं. 125 की रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नं. 307 की रकबा 0.31 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर स्थित है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात के 1 / 4 हिस्सा का मालिक है। आराजीयात की यह स्थिति विभाजन से पूर्व की है। विवाद का मुख्य विषय वाके माल मौजा इटावा विभाजन से पूर्व खाता सं. नया या 326 तथा पुराना खाता 281 की खसरा नं. 222 की रकबा 1.96 हेक्टर भूमि है। जो बेशकिमती कृषि आराजी है। इस आराजी को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने विभाजन के समय धोखाघडी करके तथ्यों को छुपाते हुये अपने खाते राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराली जिसका मौजूदा विभाजन के बाद में नया खाता सं 323 पुराना खाता

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

सं328 की खसरा नं. 222 की रकबा 0.98 हैक्टर पूर्व दिशा की गलत तरीके से अपने खाते दर्ज करा ली इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम 2 ने अपने खाते मौजूदा खाता नया 494 पुराना खाता सं. 318 की खसरा नं. 3317/222 की रकबा 0.98 हैक्टर अपने खाते गलत तरीके से दर्ज करवाली। जिससे दुरुस्त किया जाने व विभाजन को निरस्त किया जाना जरुरी है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा 0.49 हैक्टर बनता है। तथा अप्रार्थी क्रम 3 का भी हिस्सा 0.49 हैक्टर बनता है। जो राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन के बाद नही दर्ज किया गया। जिसे दर्ज किया जाना न्यायहित में जरुरी था। प्रार्थी एवं अप्रार्थी का 1 लगायत 3 का उक्त विवादित आराजी में प्रत्येक का 1/4–1/4–1/4 तथा 1/4 बनता है। जिसकी दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में होना जरुरी है। बाकी खसरा नम्बरान में दुरुस्ती नियमानुसार अप्रार्थीगण करवा सकते है। इसमें प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 28–1–2016 को प्रार्थी से कहां कि भविष्य में होने वाली दिक्कतों जैसै के. सी.सी. लेना भूमि विकास करवाने की दृष्टि से अपन सहखातेदारान तहसील पीपल्दा में चल कर तसीलदार साहब से निवेदन करके मद नं. में वर्णित कृषि आराजीयात अच्छी मे से अच्छी बुरी मे से बुरी अपना अपना प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बंटवारा करवाके अलग अलग खाते दर्ज कराके अगल अलग लगान कायम करवाले इस पर प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 के धोखे व छल में फंस कर आराजीयात विभाजित करने हेतु दिनांक 28–1–2016 को विभाजन की लिखा पढी करवायी जिसे अप्रार्थीगण ने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया तथा प्रार्थी को धोखा मे रखा तथा अपने खाते अच्छी अच्छी आराजीयात दर्ज करवाने जिसमें खसरा नं. 222 की रकबा 1.96 हैक्टर वाके माल मौजा अप्रार्थीगण निजामुद्दीन व जमील अहमद अपने खाते 0.98 हैक्टर– 0.98 हैक्टर विभाजन में धोखा करके अपने अपने खाते दर्ज करा लिया। जिसका ज्ञान प्रार्थी को नही होने दिया। तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण पूर्व अनुसार अपने अपने तमाम आराजीयात 1/4 हिस्से पर काश्त करते रहे। 5. यह कि अभी दिनांक 17–2–2025 को प्रार्थी को ज्ञान में आया कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा नं. 222 की रकबा 1.96 हैक्टर, आराजी वाके माल इटावा गैता रोड के पास बेचने का सौदा कर रहे है पूरी आराजी का इस पर प्रार्थी ने विभाजन संबंधी कागज व खाते संबंधी कागजात निकलवाये तब प्रार्थी के ज्ञान में प्रथम बार यह तथ्य आया कि खसरा नं. 222 की रकबा 1.96 हैक्टर वाके माल इटावा में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है ही नही तथा दुसरी आराजीयात जो माल मौजा किशनपुरा, रामपुरिया व फतेहपुर में उन में प्रार्थी को इस भूमि का 1/4 हिस्सा गलत ढंग से दे दिया गया जो गलत कतई गलत व गैर कानूनी है। क्योकि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजीयात प्रत्येक में 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी में बुरी इसलिए यह वाद इन्द्राज दुरुस्ती व विभाजन नामा दुरुस्त करने का तथा स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारे का पेश करना जरुरी हो गया। अगर उक्त विभाजन नामा दुरुस्त नहीं किया गया अच्छी मे से अच्छी और बुरी मे से बुरी आराजी लेने बाबत तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन द्रव्य में नहीं किया जा सकेगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थी विभाजन नामा दिनांक 28–1–2016 को दुरुस्त करवाने का कानूनी रुप से हकदार है तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी रुप से अधिकारी है। तथा आराजी खसरा नं. 222 की रकबा 1.96 हैक्टर वाके माल इटावा में 1/4 अपना हिस्सा विभाजित

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

करवाने का हकदार है। प्रथम दृष्यया प्रार्थी के पक्ष में है। यह कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आली जनाब से गुजारिश है कि मूल वाद के निराकरण होने तक अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेध राज्ञा जारी की जावे कि खसरा नं. 222 पूर्व दिशा की रकबा 0.98 हैक्टर तथा खसरा नं. 3317/222 की रकबा 0.98 हैक्टर वाके माल इटावा जो गैता रोड के सहारे को प्रतिवादीगण प्रार्थी के 1/4 हिस्से को खुर्द बुर्द नहीं करे ना ही किसी व्यक्ति अथवा संस्था को बेय, रहन, हिबा आदि या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें ना ही प्रार्थी के उक्त आराजी के कृषि कार्य व अधिपत्य में हस्तक्षेप करें ना ही ऐसा कोई अप्रार्थीगण अपने प्रतिनिधियों से कराये।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री एस.टी.एच. आबदी ने पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरीये समन्न की गई। अप्रार्थीगण 1 ता 3 की ओर से श्री विकास पोरता एडवोकेट वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वंय स्वीकार किया गया है कि दिनांक 28/01/2016 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तहसील पीपल्दा के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन आलेखित करवाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 ता 3 चारो भाईयो ने सहमति से विभाजन कर 1/4–1/4 हिस्से का विभाजन करवाया गया। एक बार सहमति से विभाजन होकर चारो भाइयों को 1/4–1/4 का पृथक से खातेदार कृषक घोषित किया जा चुका है और प्रत्येक खातेदार पृथक खातेदारी के आधार पर दिनांक 28/01/2016 से अपनी अपनी भूमियों पर काबिज काश्त है पृथक खातेदारी की भूमि मे प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। उक्त आराजी सयुंक्त परिवार की सम्पति नही है क्योकि उक्त आराजी का दिनांक 28/01/2016 को आपसी सहमति से विभाजन हो गया है। इसे सुनने का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है इसे सिविल न्यायालय मे ही चुनौती दी जा सकती है विधि दस्तावेजो की विधिता का प्रश्न एक दीवानी न्यायालय की विनिश्चिता का है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष सहमति से हुए विभाजन पत्र को दुरूस्त व निरस्त करवाने से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध मे आक्षेप है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि वर्जित है वयस्क व्यक्तियो द्वारा सक्षम अधिकारिता वाले सक्षम विहित प्राधिकारी अधिकारी तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष सभी खातेदारो की पूर्ण सहमति से पूर्ण होश हवास मे गवाह की मौजूदगी मे दिनांक 28/01/2016 को निष्पादित हुआ है राजीनामा से सक्षम अधिकारी के समक्ष हुए विभाजन को सुनने का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नही है।3– यह कि प्रार्थी द्वारा विभाजन को दुरस्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है चूंकी दुरस्त तो गलती या त्रुटि या कमी का होता है आपसी सहमति से हुए विभाजन को माननीय न्यायालय द्वारा दुरूस्त करने का अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है विभाजन का निरस्त करना एक विधिक दस्तावेज को चुनौती देना है जिसे सिविल न्यायालय ही सुनने में सक्षम है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे बताया है कि अप्रार्थीगण ने धोखाधडी कर रजिस्टर्ड विभाजन विलेख आलेखित करवाया है जो निरस्त किया जाना आवश्यक है। क्योकि दिनांक 28/01/2016 को निष्पादित हुआ सहमति विभाजन विलेख एक पंजीकृत विलेख

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

है जिसे रदद/निरस्त हेतु सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है राजस्व न्यायालय को प्रार्थना पत्र सुनने का कोई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। यह कि प्रार्थी ने दिनांक 28/01/2016 के विभाजन पत्र को धोखाधडी व तथ्यो को छुपाते हुए होना बताते हुए दुरूस्त करने की प्रार्थना की है। दुरूस्त तो किसी कमी या त्रुटि का होना होता है यदि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निष्पादित विभाजन विलेख पर आक्षेप यदि धोखाधडी व तथ्यो को छुपाते हुए आक्षेपित किया गया है तो इसे सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नही है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार दिनांक 28/01/2016 को तहसील पीपल्दा के समक्ष हुए सहमति विभाजन विलेख है उक्त विभाजन विलेख प्रार्थी की पूर्ण सहमति से स्वंय उपस्थित होकर करवाया गया है इसे परिसीमा अधिनियम के तहत मात्र 3 वर्ष की अवधि मे ही चैलेन्ज किया जा सकता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर (स्पउपजंजपवद वनज) होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा निरर्थक व विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कोई प्रार्थना पत्र हेतुक प्रकट नही करता है तथा अन्य विधि से बाधित होने से खारिज होने योग्य है। उक्त विभाजन सभी खातेदारो की आपसी सहमति से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गवाह की मौजूदगी मे रचा गया है जिसके आधार पर बंटवारा अनुसार नक्सा तरमीम हो चुका है जमाबदिया पृथक पृथक हो चुकी है। यदि समय के साथ भूमियो के भावो मे उतार चढाव आने से किसी व्यक्ति को बेईमानी आती है तो उसे चुनौती नही दी जा सकती प्रार्थी को प्रार्थना पत्र लाने का प्राप्त नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों में राजीनामा के आधार पर सहमति पूर्ण बटवारा होने का स्पष्ट प्रमाण है। तथा खाता विभाजन का मुताबिक सहमति पुष्ट है। प्रकरण में ग्राम किशनपुर रामपुर फतेहपुर तथा इटावा में खसरा संख्या 11/221, 289, 125, 307, 222, 740, 1113 विभाजन पूर्व होना तथा विभाजन उपरांत जमील अहमद पुत्र चांद मोहम्मद को ग्राम इटावा खसरा नंबर 222 रकबा 1.96 का 1/2 हिस्सा व ग्राम रामपुरा खसरा नंबर 289 रकबा 2.23 में से 0.79 है, निजामुद्दीन पुत्र चांद मोहम्मद की ग्राम इटावा की खसरा नंबर 222 रकबा 1.96 है का 1/2 हिस्सा ग्राम रामपुरा खसरा नंबर 289 की 0.79 है कुल 1.77 है0, भी इकलाख पुत्र चांद मोहम्मद को ग्राम रामपुरा खसरा नंबर 289 रकबा 2.23 है0 कि 0.65 है0 ग्राम इटावा की खसरा नंबर 740 रकबा 1.50 है0 में से 0.69 है0 तथा ग्राम किशनपुर की खसरा नंबर 11/221 में से की 0.44 है0 कुल किता 3 कुल खसरा नंबर 1.78 है0 तथा मोहम्मद रफीक पुत्र चांद मोहम्मद का ग्राम फतेहपुरा की खसरा नंबर 125 की 0.65 है0 पूर्ण, खसरा नंबर 307 की 0.31 है0 पूर्ण एवं ग्राम इटावा की खसरा नंबर 740 रकबा 1.50 है0 में से 0.81 है कुल किता 3 की कुल रकबा 1.77 है0 स्पष्ट रूप से उल्लेखित है इनकी खाते भी पृथक हो चुके हैं। प्रथम दृष्टिक मामला प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि वह रिकॉर्ड खातेदार है परंतु विभाजन 2016 वर्ष के उपरांत लगभग 9 से 10 साल बाद क्या अपूर्णीय क्षति होनी संभावित है बिल्कुल स्पष्ट नहीं है तथा सुविधा संतुलन भी पक्ष में नहीं है। इस प्रकार राजी

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

नामा एवं सहमति पूर्ण बंटवारे जिसमें मुताबिक पंजीकृत दस्तावेज राजीनामा खाता विभाजन भी हो चुका है। लगभग एक दशक उपरांत किसी प्रकार का हस्तक्षेप अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से ना तो उचित है ना ही विधि सम्मत। अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 राज काश्तकार अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो। फैसला सारे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा